



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50216-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 976 वर्ष 2025

मधुबन शिक्षा समिति की प्रबंध समिति एवं एक अन्य

.....अपीलार्थीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता	: जी.के. सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता) सह उत्सव सिंह, ऋतुध्वज प्रताप साहि
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: मीनाक्षी सिंह, एसी.एस.सी., विनोद कुमार पाण्डेय, आशुतोष गांगुली

मुख्य न्यायमूर्ति की न्यायपीठ

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. अपीलार्थीगण की ओर से श्री जी.के. सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री उत्सव सिंह द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, को सुना गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 एवं 6 की ओर से श्री विनोद कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता को भी सुना गया।

2. प्रस्तुत अंतःन्यायालयीय अपील दिनांक 09.10.2025 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर रिट-सी संख्या 34322 वर्ष 2025 (मधुबन शिक्षा समिति की प्रबंध समिति एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) का निस्तारण करते हुए सहायक पंजीयक, फर्म्स, सोसायटीज़ एवं चिट्स, आगरा द्वारा पारित दिनांक 12.06.2025 के आदेश को निरस्त कर दिया तथा यह अवलोकन किया कि विधिक परिणाम स्वतः अनुसरण करेंगे। साथ ही प्रकरण को पंजीयक, फर्म्स, सोसायटीज़ एवं चिट्स, आगरा क्षेत्र, आगरा को विधि के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

3. अपील दायर करने की अनुमति हेतु एक प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र सहित, प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि रिट याचिका में आक्षेपित दिनांक 12.06.2025 एवं 19.06.2025 के आदेशों के द्वारा आवेदक-प्रबंध समिति को सोसायटी की वैध प्रबंध समिति के

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, तथापि आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसे रिट याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया; अतः अपील दायर करने की अनुमति प्रदान की जाए।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि रिट याचिका में प्रबंध समिति के प्रबंधक एवं अध्यक्ष को उनके व्यक्तिगत हैसियत में पक्षकार बनाया गया था, तथापि प्रबंध समिति को एक आवश्यक पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए बिना रिट याचिका त्रुटिपूर्ण थी। यह तर्क विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, किंतु पक्षकारों को सुनने के उपरांत आदेश सुरक्षित रखे जाने के बावजूद उक्त पहलू पर विचार नहीं किया गया।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत हम यह पाते हैं कि प्रस्तुत तर्कों में पर्याप्त बल है तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि रिट याचिका में आक्षेपित आदेश दिनांक 12.06.2025, इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की रिट-सी संख्या 22711 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2024 के अनुपालन में पारित किया गया था, प्रबंध समिति को पक्षकार न बनाना रिट याचिका में एक घातक त्रुटि है।

6. उपर्युक्त के दृष्टिगत, अपील दायर करने की अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है तथा आवेदकों को वर्तमान अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील पर आदेश

7. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में अपीलार्थी-प्रबंध समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची पंजीकृत की गई थी, किंतु सहायक पंजीयक द्वारा दिनांक 26.06.2024 के आदेश के माध्यम से उसे अवैध रूप से निरस्त कर दिया गया तथा सोसायटी के उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु निर्देश प्रदान किया गया। उक्त आदेश को इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की रिट-सी संख्या 22711 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2024 के माध्यम से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण को पुनः विचारार्थ सहायक पंजीयक के समक्ष प्रत्यावर्तित किया गया।

8. यह भी निवेदन किया गया कि उक्त आदेश के अनुपालन में सहायक पंजीयक ने पक्षकारों के परस्पर दावों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का विस्तृत परीक्षण करते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को निरस्त कर दिया तथा दिनांक 12.06.2025 के आदेश द्वारा वर्ष 2025-

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26 हेतु अपीलार्थीगण की पदाधिकारियों की सूची के पंजीकरण का निर्देश दिया। यह तर्क दिया गया कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पदाधिकारिता से संबंधित विवादित प्रश्नों पर कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना ही रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया तथा ऐसे पहलुओं पर विचार किया गया जो पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद का विषय नहीं थे; अतः उक्त आदेश निरस्त किया जाना अपेक्षित है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण का मुख्य विवाद महाराज सिंह के कथित अध्यक्ष पद से संबंधित था तथा उनके द्वारा गोपाल प्रसाद (रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 3) को सदस्य के रूप में सम्मिलित कर उसे प्रबंधक निर्वाचित किए जाने की वैधता का था। चूँकि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने यह निष्कर्ष निकाला कि सहायक पंजीयक द्वारा यह कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया कि महाराज सिंह को अध्यक्ष के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित किया गया, अतः सहायक पंजीयक का आदेश तथा गोपाल प्रसाद के समावेशन से संबंधित कार्यवाही को विधि विरुद्ध माना जाना उचित था; अतः उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. हमने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

11. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थीगण की सोसायटी की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों की सूची सहायक पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। तथापि, जब दिनांक 26.06.2024 के आदेश द्वारा उक्त सूची निरस्त कर दी गई, तो अपीलार्थीगण द्वारा उसे रिट-सी संख्या 22711 वर्ष 2024 में चुनौती दी गई, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2024 के आदेश के माध्यम से स्वीकार करते हुए निरस्तीकरण आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा सहायक पंजीयक को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का पुनः निर्णय करने का निर्देश दिया गया।

12. सहायक पंजीयक द्वारा पारित दिनांक 12.06.2025 के आदेश में प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत शिकायतों में उठाए गए सभी पहलुओं तथा अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर का विस्तृत विवेचन किया गया है। प्रथम दृष्टया, न्यायालय यह पाता है कि न तो रिट-सी संख्या 22711 वर्ष 2024 में पारित पूर्व आदेश में और न ही सहायक पंजीयक द्वारा पारित दिनांक 12.06.2025 के आदेश में महाराज सिंह की स्थिति के संबंध में कोई विशिष्ट चर्चा की गई है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बल्कि विवाद का केंद्र बिंदु भिन्न था, अर्थात् पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर रिक्तियों को भरे जाने से संबंधित प्रश्न।

13. दिनांक 12.06.2025 के विस्तृत आदेश के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उक्त आदेश को दी गई चुनौती का निर्णय न केवल प्रबंध समिति को प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाए जाने के पश्चात, बल्कि शपथ-पत्रों के आदान-प्रदान के उपरांत किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने रिट-सी संख्या 22711 वर्ष 2024 में पारित पूर्व आदेश तथा सहायक पंजीयक के दिनांक 12.06.2025 के आदेश के कुछ अंशों का उल्लेख करते हुए सीधे इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि यह नहीं दर्शाया गया कि गोपाल प्रसाद को सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने के समय महाराज सिंह को अध्यक्ष के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित किया गया।

14. विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा यह भी अवलोकित किया गया कि आक्षेपित आदेश मुख्यतः राजेश कुमार (याचिकाकर्ताओं में से एक) के कथन के एक भाग पर आधारित है तथा उसके व्यापक भाग की उपेक्षा की गई है। विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने एक आपराधिक प्रकरण के अभिलेखों का भी संदर्भ लिया तथा यह कहते हुए रिट याचिका का निस्तारण किया कि आक्षेपित आदेश पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद पर विचार किए बिना सरसरी ढंग से पारित किया गया है। दिनांक 12.06.2025 के आदेश को निरस्त करते हुए यह भी अवलोकन किया गया कि विधिक परिणाम स्वतः अनुसरण करेंगे तथा तत्पश्चात प्रकरण को पंजीयक के समक्ष विधि के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

15. हमारे मत में, इस प्रकार के अवलोकन एवं निष्कर्ष न केवल जटिलताएँ उत्पन्न करेंगे, बल्कि पक्षकारों को किसी ठोस परिणाम तक नहीं पहुँचने देंगे। हमारे विचार से रिट याचिका में अपेक्षित यह था कि उसमें सम्मिलित प्रत्यर्थीगण, जिसमें वह प्रबंध समिति भी सम्मिलित होनी चाहिए थी जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया, यद्यपि आक्षेपित आदेश उसके पक्ष में था, से प्रत्युत्तर आमंत्रित किया जाता तथा तत्पश्चात पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद के आधार पर प्रकरण का निर्णय किया जाता, न कि किसी एक व्यक्ति के कथन के आंशिक अवलोकन अथवा महाराज सिंह की अध्यक्षता की स्थिति अथवा उनके द्वारा सदस्यों के समावेशन के आधार पर।

16. अभिलेख पर उपलब्ध कार्यवाहियों तथा आक्षेपित आदेश के दृष्टिगत, हम विद्वान एकल न्यायमूर्ति के आदेश को निरस्त करने तथा रिट याचिका को गुण-दोष के आधार पर पुनः

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारार्थ बहाल किए जाने के लिए प्रवृत्त हैं, वह भी इस शर्त के साथ कि वर्तमान अपीलार्थी-प्रबंध समिति को उक्त रिट याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाए।

17. तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है।

18. विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित दिनांक 09.10.2025 का आदेश एतद् द्वारा **निरस्त** किया जाता है।

19. रिट-सी संख्या 34322 वर्ष 2025 को उसके मूल क्रमांक एवं स्थिति में पुनः स्थापित किया जाता है।

20. रिट याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे आज से दस दिवस की अवधि के भीतर अपीलार्थी प्रबंध समिति को रिट याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित करें।

21. अपीलार्थीगण को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे अपने पक्ष में प्रत्युत्तर शपथ-पत्र, रिट याचिका में अपने प्रत्यारोपण के उपरांत तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल करें।

22. रिट याचिका को दिनांक **16.04.2026** को विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष एक **नवीन वाद के रूप में सूचीबद्ध** किया जाए।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने रिट याचिका में आक्षेपित आदेशों के संबंध में पक्षकारों के परस्पर दावों एवं तर्कों के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है, जिसका निर्णय रिट न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से विधि के अनुसार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक : 11 मार्च 2026

ए.के. शुक्ला/

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।